जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः जीविवि/परीक्षा-2/गोप0/2019/471 **दिनांक : 06.05.2019**

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध शासकीय एवं अशासकीय शिक्षा महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, ग्वालियर

विषय :- विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में परीक्षा संचालन शुल्क की राशि 175+13 कुल राशि 188/- परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर अनिवार्य रूप से जमा कराये जाने के संबंध में।

माननीय, कुलपति महोदया के निर्देशानुसार समस्त अशासकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में आपके महाविद्यालय के जो छात्र अन्य महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र पर सम्मिलित हो रहे हैं, परीक्षार्थियों की कुल संख्या गुणित 188 की कुल राशि संबंधित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा केन्द्र प्रकाशित होने के उपरान्त तत्काल जमा करायें। अन्यथा आपके महाविद्यालय के परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं किये जायेंगे और यदि आपके महाविद्यालय के परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित होते है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपके महाविद्यालय की होगी।

उपरोक्त के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व समय-समय पर सूचित किया जाता है। इसके उपरान्त भी देखने में आ रहा है कि महाविद्यालयों द्वारा संबंधित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा संचालन शुल्क समय पर जमा नहीं किया जाता है।

अतः समस्त संबंधित महाविद्यालयों को पुनः सूचित किया जाता है कि दिनांक 08.05.2019 तक आवश्यक रूप से परीक्षा संचालन शुल्क संबंधित परीक्षा केन्द्र पर जमा कराने की व्यवस्था करें। अन्यथा दिनांक 09.05.2019 को होने वाली परीक्षा में संबंधित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को यदि संबंधित परीक्षा केन्द्र द्वारा परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया, तो विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा।

यदि आपके महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के आदेशों का अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है तो आपके महाविद्यालय की **सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।**

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः-

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

सहा0/उप-कुलसचिव(गोपनीय/परीक्षा)

विपिन पत्र